


मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल
—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक 06/11/2020

क्रमांक 1291/1357/2020/सत्रह/मेडि-1 :: लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-1/2008/17/मेडि-1 दिनांक 26.08.2008 एवं परिपत्र क्रमांक एफ-14-01/2015/17/मेडि-1 दिनांक 13.06.2017 के अधीन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत करते हुए डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रतलाम (सेवानिवृत्त) को दिनांक 18.09.2009 से आगामी वेतनमान रुपये 37400-67000 + 8700 ग्रेड पे स्वीकृत किया जाता है।



मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सीमा डहेरिया)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.

पृ. क्रमांक 1292/1357/2020/सत्रह/मेडि-1
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 06/11/2020

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.भोपाल।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- ✓ 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
6. रजिस्टार, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, भोपाल
7. अपर संचालक, प्रशासन/वित्त संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
9. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रतलाम
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रतलाम
11. डॉ. पुष्पेन्द्र शर्मा, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
12. आदेश नस्ती।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

वेबसाइट पर अपलोड
श्री. सी. ए. डी.
11/11/2020